कार्यलय तहसीलदार (भू.अ.) जायल

मांक/भू.अ./2020/2029 दिनांक 04/08/2020

प्रति– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय

जायल

षय–प्रकरण धारा 251 (ए) की जांच करवाकर मौका रिर्पोट भेजने

।

ोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आपके न्यायालय के प्रकरण 23/2019 अनवान रामदेव बनाम रामदीन ....की जांच .निरिक्षक से करवाई गई,उक्त प्रकरण राज.काश्तकारी अधिनियम 5 की धारा 251 (ए) से सम्बन्धित है। उक्त प्रकरण की जांच होकर .निरिक्षक द्वारा तैयार की गई मौका रिर्पोट मय आवश्यक दस्तावेज ग्न कर इस कार्यालय में जमा हो जाने से इस पत्र के संलग्न ान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

ग्न मौका रिर्पोट मय दस्तावेज

4/8/2020

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

Scanned with CamScanner

मौका रिपोर्ट

आज दिनांक 18/07/20 मौजा कलौती के प्रकरण 251 (क) प्रार्थी रामदेव पुत्र भोलूराम जाति जाट के खातेदारी खेत के ख.न. 1189, सीताराम पुत्र हीराराम जाति जाट के खातेदारी खेत के ख.न. $\frac{2276}{1188}$ एवं रामकरण पुत्र हीराराम जाति जाट के खातेदारी खेत ख.न. 1188 के मौके पर पहुँचा। मौके पर - बगाराम, भैराराम पुत्र धन्नाराम, रामकरण, रामदेव, सुगनाराम, सुरेश, मुकेश, जगदीश, सीताराम, हीराराम, ताराराम एवं रामकुंवार उपस्थित थे।

मौका निरीक्षण कर मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट निम्नप्रकार है।

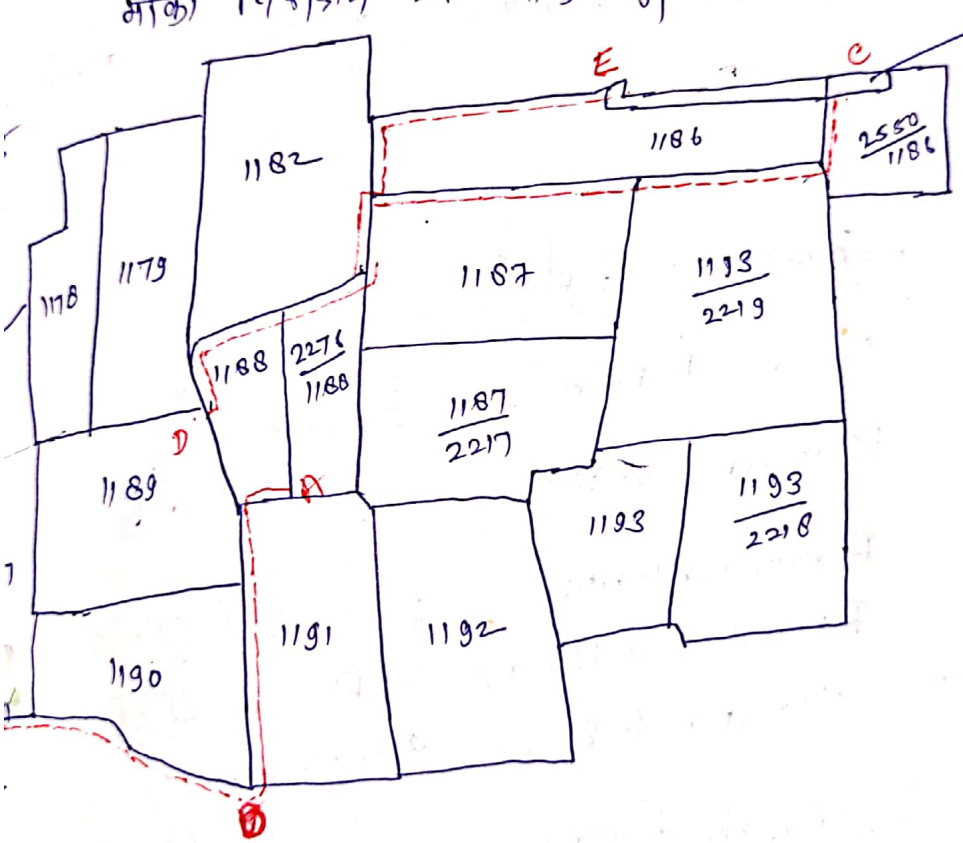

1. प्रार्थी के खेत से लगने वाले नजदीकी कच्ची रास्ते को नक्शे में प्रदर्शित किया गया है।

2. वर्तमान में प्रार्थी के खेत में जाने के लिये वैकल्पिक रास्ते को नक्शे में बिन्दु A से B दर्शाया गया है।

P.T.O.

Scanned with CamScanner

3. प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता नक्शे में बिन्दु C से D दर्शाया गया है जिसकी दूरी 323 गज है। वर्तमान DLC रेट से कुल राशि 96827 रु. होती है।

4. प्रार्थी के खेत से सड़क वाला नजदीकी रास्ता बिन्दु D से E दर्शाया गया है जिसकी दूरी 243 गज है वर्तमान DLC रेट से कुल राशि 70319 रु. होती है

5. प्रार्थी द्वारा चाहा गये रास्ते में कहीं भी पक्का निर्माण नहीं है।
मौके पर उपस्थित मौतबिरान के हस्ताक्षर करवाये।

18/7/20
पटवारी कोजोती

1. SARWAN RAM
2. JETA RAM — जेताराम बेड़ा
3. BUDHA RAM — बुधाराम बेड़ा
4. RAMKARAN — रामकरण S/o हिराराम
5. RAMDEV RAM — रामदेव बेड़ा
6. SUGNA RAM — सुगनाराम
7. Suresh Bera — Suresh Bera
8. Mukesh Bera — मुकेश बेड़ा
9. Jagdish Bera — जगदीश बेड़ा
10. Sitaram Bera
11. Harriram Bera
12. Tararam Bera — नारायण
13. Ramkuwar Bera

C.S.

18/7/20
ILR भाखर

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–

मुकदमा नं. 23/2019

1. रामदेव पुत्र भोलूराम
2. सीताराम पुत्र हीराराम
3. रामकरण पुत्र हीराराम
   जाति–जाट, निवासी–कठौती, तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सुखदेव पुत्र रामदीन
2. बनवारी पुत्र रामदीन
3. अर्जूनराम पुत्र रामदीन
4. इन्द्रा पुत्री रामदीन
5. धापूदेवी पत्नि रामदीन
6. श्रवणराम पुत्र हरजीराम
   जातियान–जाट, निवासी–कठौती, तहसील–जायल जिला–नागौर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका प्रार्थीगण की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री हरिश पारीक अप्रार्थी सं. 01 से 6 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 07 स्वयं उपस्थित।

दिनांक : 25.02.2021

– : : **आदेश** : : –

1. प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 क्रमशः रामदेव, सीताराम, रामकरण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 2550/1186, 1189, 2276/1188, 1188 के रूप में तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1193/2219, 1187, 1182 के रूप में ग्राम कठौती तहसील जायल में स्थित है। अप्रार्थी नं. 1 रामदीन ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अनुवान रामदीन बनाम रामदेव पेश किया है प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1189, 2276/1188, खसरा नं. 1188 में से रास्ता चाह रहे है, परन्तु प्रार्थीगण के खेताय में आने

25/02/2021
सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

जाने वाले अप्रार्थी रामदीन द्वारा खसरा नं. 1193/2219 में से रास्ते को जब्बरदस्ती बंद कर अवरूद्ध कर दिया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि प्रार्थीगण खेती–बाड़ी, पशुधन का धन्धा करते है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से न केवल प्रार्थीगण को अपितु अप्रार्थीगण को भी नुक्सान हो रहा है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शानुसार यही एक मात्र रास्ता है, जिसे स्वीकार किया जावे।

प्रार्थीगण के खेताय में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित/वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच में परस्पर आपसी सहमति नहीं बनने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त रास्ते के उपभोग में आने वाली भूमि के बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को भूमि के बदले भूमि देने अथवा नियमानुसार प्रतिकर राशि के बदले प्रतिकर राशि देने को सहमत है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत प्रार्थना पत्र का अभिन्न भाग नजरी नक्शानुसार में दर्शाये मार्क ए से बी 18 फीट चौड़ाई में रास्ता अप्रार्थीगण के खेताय 1193/2219, 1187, 1182 में से दिलाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री हरीश द्वारा वकालात नामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार जायल को प्रकरण हाजा में मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु तहरीर जारी की गई।

3. तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2020 को प्राप्त हुई। जो दिनांक 14.08.2020 को पत्रावली पर ली गई। तहसीलदार जायल ने मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थी के खेत में जाने का वैकल्पिक रास्ता मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए से बी के अनुसार है। प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तावित रास्ता मार्क सी से डी है, जिसकी दूरी 323 गठ्ठा है। प्रार्थीगण के खेताय के लिए नजदीकी रास्ता मौका रिपोर्ट में दर्शित मार्क डी से ई है, जिसकी दूरी 243 गठ्ठा है। रास्ते हेतु वांछित/प्रस्तावित भूमि पर कोई कच्चा/पक्का निर्माण किया हुआ नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 70369/– रू. प्रति बीघा है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

4. हस्तगत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने जरिये अधिवक्ता प्रारभिंक आपत्तिया व जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित पैराज एवं तथ्य बनावटी, व गलत है। प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता नहीं है केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए बदनियती से अप्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र विरूद्ध न्यायालय हाजा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 की पेशबंदी में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी माफिक नजरीनक्शा अनुसार मार्क ए से बी प्रार्थी स्वयं ने अपने खातेदारी के खेत में से रास्ता चाहा है, जो विधिनुसार नहीं दिया जा सकता हैं, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

वकील अप्रार्थी ने जवाब में बताया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अधूरा, असत्य व मनगढ़त व तथ्यों को छुपाते हुये पेश किया है, प्रार्थी को 18 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता क्यों व कैसे है प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है, वैसे भी काश्तकार को साधारण परिस्थितियों में ट्रेक्टर मय ट्रोली से अधिकतम 10 फुट से ज्यादा चौड़ाई में नहीं होती है, जो 12–15 फीट चौड़े रास्ते से आसानी से आवागमन कर सकती है। यह गलत है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1189, 2276/1188 व 1188 में जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेताय में से रहा हो तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता रोका गया हो, साथ ही यह भी गलत है कि प्रार्थीगण के इस रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही हो। प्रार्थीगण के लिए जवाब के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इसलिए प्रार्थीगण को नुक्सान होने का सवाल ही नहीं उठता होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सुविधाजनक एवं नजदीकी हेतु धारा 251क के तहत नया रास्ता कायम किये जाने का क्षेत्राधिकार का नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। प्रार्थीगण का यह कहना गलत है कि उक्त रास्ता परस्पर सहमति से तय नहीं होने की वजह से प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवागमन हेतु दीगर काश्तकारान के साथ परस्पर सहमति से 13 फुट चौड़ाई में मौके पर रास्ता कायम करते हुये दिनांक 01.08.2017 को प्रार्थीगण सहित दीगर सभी खातेदारान् ने अपने–2 खेतो में आवागमन के लिए रास्ता हेतु इकरारनामा (लिखा पढी) पर हस्ताक्षर करते हुये नोटेरी से सत्यापित करवाई है। उक्त सहमति के आधार पर तय किये गये रास्ते को मार्क ए–बी, बी–सी व बी–डी से दर्शाया गया। नजरी नक्शा संलग्न है। अप्रार्थी रामदीन के खेताय को उक्त सहमति से कायम किये गये रास्ते में सामिल नहीं करने पर प्रार्थना पत्र 11/2019 रामदीन बनाम

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

रामदेव पेश किया जिसके विरूद्ध बदनियती से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। इसी प्रकार तथाकथित नजरी नक्शानुसार खसरा नं. 1186 के खातेदार सुरेश, जैताराम पुत्रगण जेताराम भी आवश्यक पक्षकार है जिनको बदनियती से प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है तथा ना ही रास्ते की मांग की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों, असत्य व मनगढ़त व काल्पनिक व बदनियती से पेश किये जाने तथा धारा 251क के प्रावधान के विपरित होने से खारिज योग्य है जो हर्जा– खर्चा सहित खारीज किया जावे।

5. पत्रावली के विचाराधीन रहते अप्रार्थी संख्या 1 रामदीन के फौत हो जाने पर प्रार्थना पत्र अधीन धारा 22 नियम 4 सी.पी.सी. दिनांक 20.10.2020 को वकील प्रार्थीगण ने पेश किया। जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया गया तथा अप्रार्थी रामदीन के स्थान पर रामदीन के वारिसान अर्थात सुखदेव, बनवारी, अर्जुनराम, इन्द्रा, धापूदेवी को अप्रार्थी पक्षकार संयोजित किया गया, जिनकी ओर से पैरवी हेतु वकील श्री हरीश पारीक ने वकालात नामा पेश किया।

6. बहस वकुलाय सुनी गई। प्रार्थीगण संख्या 1 से 3 क्रमशः रामदेव, सीताराम, रामकरण के खातेदारी के खेत खसरा नं. 2550/1186, 1189, 2276/1188, 1188 के रूप में तथा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के खातेदारी के खेत खसरा नं. 1193/2219, 1187, 1182 के रूप में ग्राम कठौती तहसील जायल में स्थित है। अप्रार्थी नं. 1 रामदीन ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 अनुवान रामदीन बनाम रामदेव पेश किया है। जिसमें प्रार्थीगण खसरा नं. 2550/1186 में से रास्ता चाह रहा है तथा हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण खसरा 2550/1186 से आगे खसरा नं. 1189, 2276/1188 तथा 1188 में से रास्ता चाह रहे है। खसरा नं. 1187 एवं 1193/2219 के खातेदार ने प्रार्थीगण का रास्ता बंद किया तो खसरा नं. 2550/1186 ने भी अप्रार्थीगण के लिए रास्ता बंद कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इकरारनामें से भी उक्त रास्ते हेतु प्रयास किये थे परन्तु रास्ता अत्यधिक लम्बाई में होने तथा आपसी मन मुटाव से सफल नहीं हुये। इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के तहत प्रार्थीगण ने यह आवेदन पत्र पेश किया है। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस आगे निवेदन किया कि प्रार्थीगण खेती–बाड़ी, पशुधन का धन्धा करते है। परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता बंद कर दिये जाने से न केवल प्रार्थीगण को अपितु अप्रार्थीगण को भी नुक्सान हो रहा है।

सहायक कलक्टर
(एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण के खेताय में आने जाने के लिए प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित/वांछित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने तथा प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता होने पर तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के बीच में परस्पर आपसी सहमति नहीं बनने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त रास्ते के उपभोग में आने वाली भूमि के बदले में प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को भूमि के बदले भूमि देने अथवा नियमानुसार प्रतिकर राशि के बदले में मौका रिपोर्ट में संलग्न नजरी नक्शानुसार में दर्शाये मार्क ए से बी 18 फीट चौड़ाई में रास्ता अप्रार्थीगण के खेताय 1193/2219, 1187, 1182 में से घोषित जावे।

वकील अप्रार्थी ने दौरान बहस जवाब/आपत्तियों में वर्णित तथ्यों का पुर्नदोहरान किया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, गलत तथ्यों पर, मिथ्या, सारहीन होना बताया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थीगण को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता नहीं होना तथा केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए बदनियती से अप्रार्थी रामदेव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 की पेशबंदी में प्रस्तुत किया है। माफिक नजरीनक्शा अनुसार मार्क ए से बी प्रार्थी स्वयं ने अपने खातेदारी के खेत में से रास्ता चाहा है, जो विधिनुसार नहीं दिया जा सकता हैं। वकील अप्रार्थी ने आगे निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना अधूरा, असत्य व मनगढ़त व तथ्यों को छुपाते हुये पेश किया है, प्रार्थी को 18 फीट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता क्यों व कैसे है प्रार्थना पत्र में उल्लेख नहीं किया है, वैसे भी काश्तकार को साधारण परिस्थितियों में ट्रेक्टर मय ट्रोली से अधिकतम 10 फुट से ज्यादा चौड़ाई में नहीं होती है, जो 12–15 फीट चौड़े रास्ते से आसानी से आवागमन हो सकता है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 1189, 2276/1188 व 1188 में जाने का रास्ता अप्रार्थीगण के खेताय में से रहा हो तथा हम अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता रोका गया हो का कथन सर्वथा गलत है। प्रार्थीगण के लिए जवाब के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, इसलिए प्रार्थीगण को नुक्सान होने का सवाल ही नहीं उठता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सुविधाजनक एवं नजदीकी होते हुये भी नवीन रास्ता कायम किये जाने संबंधी स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवागमन हेतु दीगर काश्तकारान के साथ परस्पर सहमति से 13 फुट चौड़ाई में मौके पर रास्ता कायम करते हुये दिनांक 01.08.2017 को दीगर सभी खातेदारान् ने जरिये इकरारनामा (लिखा पढी) अपने–2 खेतो में आवागमन के लिए रास्ता तय किया गया है। जो मार्क ए–बी, बी–सी व बी–डी से अनुसार है।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner

वकील अप्रार्थी ने आगे निवेदन किया नजरी नक्शानुसार खसरा नं. 1186 के खातेदार सुरेश, जैताराम पुत्रगण जेताराम भी आवश्यक पक्षकार है अप्रार्थी रामदीन के खेताय को उक्त सहमति से कायम किये गये रास्ते में सामिल नहीं करने पर प्रार्थना पत्र 11/2019 रामदीन बनाम रामदेव पेश किये जाने पर विरूद्ध बदनियती से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों, असत्य व मनगढ़त व काल्पनिक व बदनियती से पेश किये जाने तथा धारा 251क के प्रावधान के विपरित होने से खारिज योग्य है जो हर्जा– खर्चा सहित खारीज किया जावे।

7. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् राजस्व रिकॉर्ड, मौका रिपोर्ट तहसीलदार जायल का अवलोकन किया गया साथ ही वकुलाय द्वारा पक्षकारान की ओर से पैरवी करते हुये दी गई दलीलों एवं बहस पर गहनतापूर्वक मनन किया गया। अप्रार्थीगण की ने आपत्ति की है कि प्रार्थीगण के खेताय में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 1191 में से दक्षिणी तरफ से होते हुये खसरा नं. 1190, 1177, व 2643/1177 की पूर्वी–पश्चिमी माठ के सहारे–सहारे मार्क ए–बी है। मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए निकटतम रास्ता खसरा नं. 1188, 2276/1188, 1186 में से मार्क डी से ई है। तथा प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं होने का अंकन है, साथ ही मौका रिपोर्ट में प्रस्तावित रास्ते की भूमि पर कच्चा छप्परा निर्माण नहीं होना अंकित है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रार्थना पत्र संख्या 23/2019 एवं प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 अनुवान रामदीन बनाम रामदेव एक दूसरे से संसुगत एवं सांतत्य में है। दौराने बहस यह तथ्य सामने आया है कि खसरा नं. 1193/2219 के खातेदार ने रास्ता बंद कर दिया, तो खसरा नं. 2550/1186 ने हस्तगत प्रकरण के प्रार्थीगण का रास्ता बंद कर दिया।

इसी प्रकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य में रास्ते हेतु दिनांक 01.08.2017 के इकरारनामें में प्रयास किये जाने पर भी असफल होने पर प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 अनुवान रामदीन बनाम रामदेव खसरा नं. 2550/1186 के लिए खसरा नं. 1193/2219 में से रास्ते हेतु पेश किया। उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 11/2019 का निर्णय दिनांक 23.02.2021 को किया जाकर प्रार्थना पत्र में रास्ता स्वीकृत/घोषित किये जाने के आदेश पारीत किये जा चुके है। हस्तगत प्रकरण में खसरा नं. 2550/1186 में स्वीकृत रास्ते से आगे रास्ता चाहा है। प्रकरण में खसरा नं. 1188 व 2276/1188 रास्ते हेतु सहमत है तथा खसरा नं. 1193/2219, 1187 एवं 1182 से यही रास्ता निकटतम पड़ेगा।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर
एस. डी. ओ.) जायल (नागौर

Scanned with CamScanner

खसरा नं. 1193/2219 का खातेदार स्वयं भी रास्ते की समस्या से पीड़ित है तथा खसरा नं. 2550/1186 से आगे तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को भी रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

इसी प्रकार तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट में भी निकटतम रास्ता खसरा नं. 2550/1186 से होना विहीत आया है। अतः प्रार्थी को अपने खातेदारी खेताय में आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रस्तावित/वांछित रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध पाये जाने से प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्कारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता एवं कृषि प्रयोजनार्थ आने व जाने अथवा संसाधनो को लाने ले जाने के लिए मार्ग का अभाव सिद्ध होने के कारण प्रार्थीगण के ग्राम–कठौती तहसील–जायल खेत खसरा नं. 1189, 2276/1188, 1188 के लिए माफिक नजरी नक्शानुसार ग्राम–कठौती, तहसील–जायल के खसरा नं. 1193/2219, 1187, 1182 में से तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2020 के अनुसार डोटेट मार्क सी–डी दूरी 323 गठ्ठा के अनुसार स्वीकृत व घोषित किया जाता है। तहसीलदार जायल से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 04.08.2020 प्रकरण में निर्णय का भाग रहेगी।

तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे रास्ते के उपभोग/उपयोग में आने वाली 323 गठ्ठा भूमि के एवज में प्रार्थी से वर्तमान नवीनतम डी.एल.सी. दर अनुसार 2 गुणा प्रतिकर राशि (माफिक मौका रिपोर्ट/तकमीना) प्रभावित खातेदार कृषक को नियमानुसार भुगतान कराने की कार्यवाही करे। माफिक आदेश बाद अपील मियाद के राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तदनुसार तहरीर जारी हो।

यह आदेश दिनांक 25/07/2021 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

25/07/2021

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर
एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner